



छत्तीसगढ़ राजपत्र

असाधारण

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमिक

रायपुर, शनिवार, दिनांक

2013-

शक

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन तथा विज्ञान एवं प्राद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
रायपुर दिनांक -2013

क्र.एफ 1-7-2008-बयालिस (2). भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अपरन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्न लिखित नियम में नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 है ।
- (2) ये नियम “छत्तीसगढ़ राजपत्र” में उनके प्रकाशन के तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) “नियुक्त प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक के कालम(6) में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;
- (ख) “समिति” से अभिप्रेत है, अनुसूची-चार में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति;
- (ग) “संचालक” से अभिप्रेत है, संचालक, संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़;
- (घ) “परीक्षा” से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा;
- (ङ) “शासन” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

- (च) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
- (छ) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र.एफ-85-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ज) “अनुसूची” से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न अनुसूची;
- (झ) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है, कोई जाति मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जो भारत के संविधान के अनुक्षेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (ञ) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है, कोई जाति मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जो भारत के संविधान के अनुक्षेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (ट) “सेवा” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) सेवा;
- (ठ) “राज्य” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;
3. विस्तार तथा लागू होना - छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा के सामान्य शर्तें) नियम, 2010 में अंतर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.
4. सेवा का गठन - सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :-
- (1) वे व्यक्ति, इन नियमों के प्रारंभ के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थापन्न रूप में धारण कर रहे हों;
- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हैं.
5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि - सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार होगी, परन्तु शासन, समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी,
6. भर्ती का तरीका-(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात :-
- (क) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जैसा कि विहित हो;
- (ख) अनुसूची-चार के कालम (2) में या यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;
- (ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पद मूलतः धारण करते हैं, जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए.

- (2) उप नियम (1)के खण्ड(क),(ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के उस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी जो अनुसूची-दो में दर्शायी गयी है.
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्ययन करते हुए सेवा में किसी विशिष्ट रिक्त या रिक्तियों को, भर्ती के किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो भरने के प्रायोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जावेगी.
- (4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्वसहमति से उक्त उप नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न, ऐसा अन्य तरीका अपना सकती है जैसा कि इस निमित्त जारी किये गए आदेश द्वारा, विहित किया जाए.
7. सेवा में नियुक्ति - इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जावेगी और ऐसा कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीके में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.
8. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें - चयन/परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :-
- (1) आयु -
- (क) (एक) उसने परीक्षा/चयन होने के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची-तीन के कालम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.
- (दो) सेवा या पद पर कोई अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा यदि वह विवाह के लिये नियत आयु पूरी करने से पूर्व विवाह करता है.
- (ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पाँच वर्ष तक शिथलीय होगा.
- (ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अधीन रहते हुए होगा :-
- (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये.
- (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी दुसरे पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। यह रियायत आकस्मिकता निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित

कर्मचारियों तथा परियोजना-कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

- (तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उनके द्वारा पूर्ण की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा बसर्ते कि उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :- पद “ छटनी किया गया सरकारी सेवक ” से द्योतक है. ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्ही संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण सेवान्मुक्त किया गया है.

- (चार) ऐसा अथ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि इसके परीणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :- पद “ भूतपूर्व सैनिक ” से से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत शासन के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा था और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई थी या जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित कर दिया गया था :-

- (1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसको सेवानिवृत्त रियायती (मस्टरिंग आउट कनसेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
- (2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे दुसरी बार नामांकित किया गया हो :-
 - (क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण होने पर;
 - (ख) नामांकण संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर;सेवामुक्त किया गया हो.
- (3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक;
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), (जिनके अल्पावधि सेवा में नियमित कमीसन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है), उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों,

- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हे जिन्हे अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय पर निरंतर कार्य करने के पश्चात सेवान्मुक्त किया गया हो.
 - (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे असक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;
 - (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे इस आधार पर सेवान्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं;
 - (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव लग जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.
- (घ) विधवा, निराश्रित एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
 - (ड.) उन अभ्यर्थियों के लिये जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
 - (च) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पति के पुरस्कृत संवर्ग पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा, पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
 - (छ) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
 - (ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
 - (झ) नगर सेना (होम गार्ड्स) के स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नान-कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष सीमा के अध्वधीन रहते हुए शिथिलनीय होगा, किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये.
 - (ञ) निःशक्त अभ्यर्थियों के संबंध में, उच्चतर आयु सीमा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किये अनुसार शिथिलनीय होगी;
 - (ट) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगा;

टिप्पण - (1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त उप नियम 14(1) के खण्ड (क) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में पात्र पाया गया हो, यदि आवेदन - पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहले या उसके बाद, सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे. किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं होगी.

(2) शैक्षणिक अर्हताएँ. - अभ्यर्थी के पास, अनुसूची-तीन में विनिर्दिष्ट की गई सेवा की विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए.

परन्तु :-

- (क) नियुक्ति प्राधिकारी, आपवादित मामलों में, विभागीय समिति की सिफारिस पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस नियमों में अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण हों, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये अभ्यर्थी के विचारण को न्याय संगत ठहराता हो; और
- (ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर भी, अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि ली हो, जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जिनके शासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार परीक्षा में उपस्थित होने के लिये भी विचार किया जा सकेगा.
- (3) फीस - अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. निरर्हता -

- (1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा.
- (2) कोई भी अभ्यर्थी, जिनके विवाह के लिये निश्चित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा.
- (3) कोई भी अभ्यर्थी, जिनकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा;

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी एक पहले से जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो. जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा.

- (4) कोई अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिये पात्र नहीं होगा जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो.

परन्तु किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी न्यायालय में यदि ऐसे मामले लंबित हैं, तो उसकी नियुक्ति/पदोन्नति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चित होने होने तक लंबित रखा जाएगा.

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा. : किसी अभ्यर्थी की परीक्षा/चयन के लिये पात्रता या अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चित

अन्तिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया हो, परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में उपसंजात होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती :-

- (1) सेवा में भर्ती के लिये परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि सरकार के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करें.
- (2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994(क्रमंक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य शासन द्वारा, समय-समय पर, जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे.
- (3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे.
- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जावेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हो, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.
- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाएं रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किया जा सकेगा.
- (6) निःशक्त व्यक्तियों के लिये आरक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा.
- (7) छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार/निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे.
- (8) ऐसे मामले में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कतिपय कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी सरकार से परामर्श के पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा.
- (9) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिये उपलब्ध नहीं हैं तो शेष रिक्तियों सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जायेगी और रिक्तियों अनुसूचित जातियों

तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये अगले चयन के लिये आरक्षित रखी जायेगी.

12. चयन समिति द्वारा सिफारिस किये गये अभ्यर्थियों की सूची-

(1) चयन समिति उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्ह हों, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे और ऐसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है किन्तु जिन्हे प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया है, तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम के अध्यक्षीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा. जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जाँच करने के पश्चात जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) चयन समिति द्वारा जारी चयन सूची, उसकी जारी करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधि मान्य रहेगी.

13. परिविक्षा -सेवा में सीधी भर्ती किये गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिविक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति -

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिये चयन करने हेतु अनुसूची-चार में उल्लेखित सदस्यों से मिलकर एक समिति गठित की जाएगी:

परन्तु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्यों से भिन्न नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जायेगा और पदोन्नति की सदस्य संख्या उस सीमा तक बढ़ायी जायेगी.

(2) अनुसूची -चार के कालम (2) विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये उसके कालम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी को पात्रता चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2010 में यथा विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार की जायेगी.

- (3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन-नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाला प्रत्येक पदोन्नति आदेश पर इस आशय के प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसके छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2010 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा बनाये गये उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गए अनुदेशों का किया है उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
- (4) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निर्दिष्ट करे किन्तु सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक में ही होगी.
15. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें. -
- (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, समिति, उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर जिनसे कि पदोन्नति की जानी है, या जिनहे सरकार द्वारा उनके समतुल्य घाषित किये गये किसी अन्य पद या पदों पर उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम(4) में विनिर्दिष्ट है और जो उप नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों.
- स्पष्टीकरण. - पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की राति -संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति की आहुत की जाती है, एक जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कलैण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के बाग/पद के वेतनमान में आता है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से विचार नहीं किया जायेगा.
- (2) पदोन्नतिके लिये विचारण क्षेत्र हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2010 के उपबंध लागू होंगे.
16. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना. -
- (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे गये हों. यह सची चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी. उक्त चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों को समाविष्ट करते हुए एक आरक्षित सूची भी पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेखित रिक्तियों को भरने के लिये प्रस्तावित की जाएगी.
- (2) चयन सूची तैयार करने के मापदंड छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम,2010 के उपबंधों के अनुसार होगा.
- (3) प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय, चयन सूची में सम्मिलित किये गए व्यक्तियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे.

स्पष्टीकरण :- ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की अधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों पर जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

- (4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण किया जायेगा.
- (5) यदि चयन,पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अतिक्रमण किया जाए तो समिति, प्रस्तावित अतिक्रमण के संबंध में अपने कारणों का लेखबद्ध करेगी.

17. चयन सूची. -

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक कि वह आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा.
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी,समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों को, यदि कोई हो, विचार में लेने के पश्चात्,सूची को ऐसे उपांतरणों साथ, यदि हो,अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा जो उसकी राय में न्याय संगत तथा उचित हो.
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप में अनुमोदित सूची,अनुसूची-चार के कॉलम(2) में उल्लेखित किये गए पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित किये गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.
- (4) चयन सूची, जब तक कि नियम 16 के उपनियम(4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाता साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी अधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किये गए किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकण किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे, तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

18. चयन सूची में सेवा नियुक्ति - चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जाएगी, जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में आये हों.
19. परीवीक्षा - सेवा में पदोन्नत किये गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परीवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

20. निर्वचन - यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न अद्भुत होता है तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.
21. शिथिलीकरण - इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले जिसे यह नियम लागू होते हैं. राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है.

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

22. निरसन तथा व्यावृत्ति - छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) सेवा भर्ती, 2013 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.
- परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गए किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

अनुसूची "एक"
(नियम 5 देखिये)

छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013

अनुक्र मोंक	पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी/गैर तकनीकी संवर्ग					
1	प्रशिक्षण अधीक्षक/ तकनीकी सहायक		तृतीय श्रेणी	रु. 9300-34800 (ग्रेड वेतन 4300)	संचालक, संचालनालय प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़
2	प्रशिक्षण अधिकारी(स्टेनोग्राफी) हिन्दी एवं अंग्रेजी		तृतीय श्रेणी	रु. 9300-34800 (ग्रेड वेतन 4300)	संयुक्त संचालक, संचालनालय प्रशिक्षण/संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
3	प्रशिक्षण अधिकारी(भाषा) हिन्दी/अंग्रेजी/कम्यूनिकेशन स्कील		तृतीय श्रेणी	रु. 9300-34800 (ग्रेड वेतन 4200)	-तदैव-
4(अ)	प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय)		तृतीय श्रेणी	रु. 9300-34800 (ग्रेड वेतन 4200)	-तदैव-
4(ब)	प्रशिक्षण अधिकारी (एडवांस माड्यूल, इंजीनियरिंग ड्राईंग, वर्कशाप केलकुलेशन और साइंस)		तृतीय श्रेणी	रु. 9300-34800 (ग्रेड वेतन 4200)	-तदैव-
5	प्रशिक्षण अधिकारी(सामाजिक अध्ययन)		तृतीय श्रेणी	रु. 9300-34800 (ग्रेड वेतन 4200)	-तदैव-
6	मेन्टेनेंस मैकेनिक (मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल)		तृतीय श्रेणी	रु.5200-20200 (ग्रेड वेतन 2200)	-तदैव-
अलिपकीय संवर्ग					
7	छात्रावास अधीक्षक		तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200 (ग्रेड वेतन 2400)	-तदैव-
8	वाहन चालक		तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200	-तदैव-

			श्रेणी	(ग्रेड वेतन 1900)	
9	फार्मासिस्ट		तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200 (ग्रेड वेतन 1900)	-तदैव-
10	पट्टी बंधक(ड्रेसर)		तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200 (ग्रेड वेतन 1900)	-तदैव-
लिपिक वर्गीय संवर्ग					
11	अधीक्षक, संचालनालय		तृतीय श्रेणी	रु. 9300-34800 (ग्रेड वेतन 4300)	संचालक, संचालनालय प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़
12	अधीक्षक (आई.टी.आई./क्षेत्रीय कार्यालय)		तृतीय श्रेणी	रु. 9300-34800 (ग्रेड वेतन 4200)	संयुक्त संचालक, संचालनालय प्रशिक्षण/संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
13	सहायक लेखा अधिकारी		तृतीय श्रेणी	रु. 9300-34800 (ग्रेड वेतन 4200)	-तदैव-
14	शीघ्रलेखक ग्रेड -3		तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200 (ग्रेड वेतन 2800)	-तदैव-
15	सहायक अधीक्षक/सहायक वर्ग-1		तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200 (ग्रेड वेतन 2800)	-तदैव-
16	सहायक वर्ग-2/लेखापाल		तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200 (ग्रेड वेतन 2400)	-तदैव-
17	डाटा एण्ट्री आपरेटर		तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200 (ग्रेड वेतन 2200)	-तदैव-
18	सहायक वर्ग-3		तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200 (ग्रेड वेतन 1900)	-तदैव-
19	स्टेनो टायपिस्ट		तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200 (ग्रेड वेतन 1900)	-तदैव-

अनुसूची “दो”
(नियम 6 देखिये)

छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013

अनुक्रमोंक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	कुल पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या		अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा नियम (6)(1)(ग) देखिये.	अभ्युक्तियों
			सीधी भर्ती द्वारा नियम(6) (क) देखिये	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम (6)(ख) देखिये		
1	2	3	4	5	6	7
तकनीकी/गैर तकनीकी संवर्ग						
1	प्रशिक्षण अधीक्षक/ तकनीकी सहायक		-	100 प्रतिशत	-	अनुक्रमोंक 4(अ) एवं 4(ब) में से.
2	प्रशिक्षण अधिकारी(स्टेनोग्राफी) हिन्दी एवं अंग्रेजी		100 प्रतिशत	-	-	
3	प्रशिक्षण अधिकारी (भाषा) हिन्दी/अंग्रेजी/कम्यूनिकेशन स्कील		100 प्रतिशत	-	-	
4(अ)	प्रशिक्षण अधिकारी(व्यवसाय, इंजीनियरिंग ड्राईंग, वर्कशाप केलकुलेशन और साइंस)		85 प्रतिशत	15 प्रतिशत		1. कालम चं0 5 के सरल क्रमोंक 4(अ) का 25 प्रतिशत उन मैन्टेनेन्स मैकेनिक(मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) जो पाँच वर्ष का अनुभव रखते हों, जिसके पास शैक्षणिक एवं

						तकनीकी अर्हता हो। 2. कालम नं0 5 के सरल क्रमोंक 4(अ) का 75 प्रतिशत उन कर्मशाला सहायक जो पाँच वर्ष का अनुभव रखते हों, जिसके पास शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता हो।
4(ब)	प्रशिक्षण अधिकारी (एडवांस माड्यूल)		100 प्रतिशत	-	-	-
5	प्रशिक्षण अधिकारी(सामाजिक अध्ययन)		100 प्रतिशत	-	-	-
6	मेन्टेनेंस मैकेनिक (मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल)		100 प्रतिशत	-	-	-
अलिपक्रीय संवर्ग						
7	छात्रावास अधीक्षक		100 प्रतिशत	-	-	-
8	वाहन चालक		100 प्रतिशत		-	-
9	फार्माशिष्ट		75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	-	25 प्रतिशत पद उन पट्टी बंधकों से भरे जायेंगे जो विहित शैक्षणिक अर्हता के साथ कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव रखता हो.
10	पट्टी बंधक(ड्रेसर)		-	100 प्रतिशत	-	
लिपिक वर्गीय संवर्ग						
11	अधीक्षक, संचालनालय		-	100		

				प्रतिशत		
12	अधीक्षक (आई.टी.आई./क्षेत्रीय कार्यालय)		-	100 प्रतिशत	-	
13	सहायक लेखा अधिकारी		-	100 प्रतिशत	-	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा 3 वर्ष का सहायक वर्ग-1 के पद पर कार्य करने का अनुभव तथा लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य.
14	शीघ्रलेखक ग्रेड -3		100 प्रतिशत		-	
15	सहायक अधीक्षक/सहायक वर्ग-1		100 प्रतिशत	-	-	-
16	सहायक वर्ग-2/लेखापाल		100 प्रतिशत	-	-	-
17	डाटा एण्ट्री आपरेटर		100 प्रतिशत	-	-	-
18	सहायक वर्ग-3		75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	-	25 प्रतिशत उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भरे जायेंगे जो हायर सेकेण्डरी (10+2) या ग्यारहवीं परीक्षा या उसके समतुल्य कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा जिन्हें 5 वर्ष के कार्य का अनुभव हो.
19	स्टेनो टायपिस्ट		100 प्रतिशत			

अनुसूची "तीन"
(नियम 8 देखिये)

छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013

अनुक्रमोंक	सेवा या पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा (वर्ष में)	अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)	शैक्षणिक योग्यता
(1)	प्रशिक्षण अधिकारी (इलेक्ट्रानिक्स, रेडियो तथा टेलीविजन मेकेनिक व्यवसाय)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.
(2)	प्रशिक्षण अधिकारी (ड्राफ्ट्समेन सिविल, पेंटर जनरल, सर्वेयर)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.
(3)	प्रशिक्षण अधिकारी (मेसन)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय

				<p>प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो.</p> <p>3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.</p>
(4)	प्रशिक्षण अधिकारी (इलेक्ट्रिशियन)	18	35	<p>1. गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो.</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो.</p> <p>3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.</p>
(5)	प्रशिक्षण अधिकारी (वायरमेन)	18	35	<p>1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो.</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो.</p> <p>3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.</p>
(6)	प्रशिक्षण अधिकारी (ड्राफ्ट्स मेन मेकेनिकल, मशीनिस्ट ग्राइंडर)	18	35	<p>1. गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो.</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो.</p> <p>3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन</p>

				वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.
(7)	प्रशिक्षण अधिकारी (इंस्ट्रुमेन्ट मेकेनिक)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.
(8)	प्रशिक्षण अधिकारी (रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.
(09)	प्रशिक्षण अधिकारी (ड्राइवर कम मेकेनिक/मोटर मेकेनिक/डीजल मेकेनिक/ट्रेक्टर मेकेनिक)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.
(10)	प्रशिक्षण अधिकारी (फ़ोर्जर एण्ड हीट)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण

	ट्रीटर/कारपेन्ट्री/मोल्डर/शीट मेटल/प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर/वेल्डर)			<p>हो.</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो.</p> <p>3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.</p>
(11)	प्रशिक्षण अधिकारी (फिटर/मशीनिस्ट/टर्नर/ प्लम्बर)	18	35	<p>1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो.</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो.</p> <p>3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.</p>
(12)	प्रशिक्षण अधिकारी (लाईब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन साइंस)	18	35	<p>1. गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो.</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो.</p> <p>3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.</p>
(13)	प्रशिक्षण अधिकारी (हॉस्पिटल हाउस कीपिंग)	18	35	<p>1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो.</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय</p>

				<p>प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो.</p> <p>3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.</p>
(14)	प्रशिक्षण अधिकारी (कम्प्यूटर हार्डवेयर)	18	35	<p>1. गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो.</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो.</p> <p>3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.</p>
(15)	प्रशिक्षण अधिकारी (कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट)(कोपा)	18	35	<p>1. हाई स्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो.</p> <p>या मान्यता विश्वविद्यालय से डी.ओ.ई. से “ओ” स्तर का प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से बी.सी.ए./पी. जी.डी.सी.ए. उत्तीर्ण होना चाहिये.</p> <p>3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.</p>
(16)	प्रशिक्षण अधिकारी (इंफार्मेशन टेक्नालॉजी एण्ड इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम मेंटेनेंस)	18	35	<p>1. गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो.</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से</p>

				<p>राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो.</p> <p>3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.</p>
(17)	प्रशिक्षण अधिकारी (सेक्रेट्रियल प्रेक्टिस)	18	35	<p>1. हाई स्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो.</p> <p>3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.</p>
(18)	प्रशिक्षण अधिकारी (इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइनिंग)	18	35	<p>1. हाई स्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो.</p> <p>3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.</p>
(19)	प्रशिक्षण अधिकारी (आर्किटेक्चरल असिस्टेंट)	18	35	<p>1. हाई स्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो.</p> <p>3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.</p>

तकनीकी अधिकारी (सी.ओ.ई.)				
(20)	प्रशिक्षण अधिकारी(सी.ओ.ई.) (फेब्रीकेशन सेक्टर)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से फेब्रीकेशन/मेकेनिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिग्री(उपाधि) या फेब्रीकेशन/मेकेनिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक). 2. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.
(21)	प्रशिक्षण अधिकारी(सी.ओ.ई.) (आटोमोबाइल सेक्टर)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री(उपाधि) या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा(पॉलीटेक्निक) . 2. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.
(22)	प्रशिक्षण अधिकारी(सी.ओ.ई.) (इलेक्ट्रिकल सेक्टर)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक डिग्री(उपाधि) या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा(पॉलीटेक्निक). या संबंधित क्षेत्र में एच.एन.टी.सी. 2. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.
(23)	प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी सेक्टर)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी में बी.ई./बी.टेक. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी में डिप्लोमा(पॉलीटेक्निक). या संबंधित क्षेत्र में एच.एन.टी.सी. 2. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.
(24)	प्रशिक्षण अधिकारी(सी.ओ.ई.) (इंस्ट्रुमेंटेशन सेक्टर)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. इलेक्ट्रानिक्स/इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिग्री(उपाधि)

				<p>या इलेक्ट्रानिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या संबंधित क्षेत्र में एच.एन.टी.सी. 2. संबंधित व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव अनिवार्य.</p>
(25)	प्रशिक्षण अधिकारी(सी.ओ.ई.) (इंडस्ट्रीयल आटोमेशन सेक्टर)	18	35	<p>1. इंडस्ट्रीयल आटोमेशन इंजीनियरिंग/ संबंधित माड्यूल अनुशासन में डिग्री (उपाधि) या इंडस्ट्रीयल आटोमेशन इंजीनियरिंग/ संबंधित माड्यूल अनुशासन में डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) या संबंधित क्षेत्र में एच.एन.टी.सी. 2. संबंधित व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव अनिवार्य.</p>
(26)	प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर)	18	35	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से रेफ्रीजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक डिग्री(उपाधि) या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से रेफ्रीजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा(पॉलीटेक्निक) . 2. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.</p>
(27)	प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (प्रोसेस प्लांट मेंटेनेंस सेक्टर)	18	35	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक डिग्री(उपाधि) या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा(पॉलीटेक्निक). 2. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम</p>

				तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.
(28)	प्रशिक्षण अधिकारी(सी.ओ.ई.) (प्रोडक्शन एण्ड मेनुफेक्चरिंग सेक्टर)	18	35	1. मेकेनिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिग्री(उपाधि) या 2. मेकेनिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.
(29)	प्रशिक्षण अधिकारी (इंजीनियरिंग ड्राइंग/वर्कशाप केलकुलेशन एवं साइंस)	18	35	1. गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. 2. मेकेनिकल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से डिग्री(उपाधि)/डिप्लोमा. 3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षणीय अनुभव होना चाहिये.
(30)	प्रशिक्षण अधिकारी, स्टेनाग्राफी (हिन्दी/अंग्रेजी)	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण .अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो और जिसने परीक्षा में हिन्दी साहित्य/अंग्रेजी साहित्य लेकर उत्तीर्ण हो, प्राथमिकता दी जावेगी. 2. छ.ग. शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड/अखिल भारतीय व्यवसायिक परिषद् से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो.(गति संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी) 3. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एण्ट्री में 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी) 4. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.
(31)	प्रशिक्षण अधिकारी (उपर्युक्त को छोड़कर अन्य	18	35	1. हाई स्कूल प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पेटर्न से 11वीं उत्तीर्ण या

	व्यवसायों के लिये)			<p>समकक्ष</p> <p>2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी हो.</p> <p>या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड से संबंधित व्यवसाय में डिग्री(उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिये.</p> <p>3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव होना चाहिये.</p>
--	--------------------	--	--	---

- टीप :-
1. सरल क्रमोंक 1 से 19 तक के लिये:- दर्शायी गई योग्यता के साथ-साथ संबंधित व्यवसाय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इंजीनियरिंग में डिग्री(उपाधि)/ डिप्लोमा उत्तीर्ण हो उसे प्राथमिकता दी जायेगी. इसी तरह विभाग के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों/मेहमान प्रवक्ताओं को प्राथमिकता दी जायेगी.प्राथमिकता किस तरह देना है चयन समिति द्वारा तय किया जावेगा.
 2. सरल क्रमोंक 20 से 30 तक के लिये :- विभाग के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों/मेहमान प्रवक्ताओं को प्राथमिकता दी जायेगी. प्राथमिकता किस तरह देना है चयन समिति द्वारा तय किया जावेगा.
 3. सरल क्रमोंक 1 से 31 तक के लिये :- समस्त प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय, ड्राइंग, वर्कशाप केलकुलेशन) को डी.जी.ई.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों (ए.टी.आई/सी.टी.आई.) से एक वर्षीय अनुदेशक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. जिन व्यवसायों में एक वर्षीय अनुदेशक प्रशिक्षण नहीं होता है और जिन व्यवसायों में यह प्रशिक्षण होता है किन्तु प्रशिक्षण अधिकारी को पाँच वर्ष का अनुभव हो गया है उन्हे डी.जी.ई.टी. की संस्थानों से तीन माह का प्रिसिपल्स ऑफ टीचिंग कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. उक्त के अभाव में वेतन वृद्धि एवं उच्च पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकेगा.
 4. राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एस0सी0व्ही0टी0) से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र धारी प्रशिक्षण अधिकारियों को दो वर्ष के भीतर राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्(एन0सी0व्ही0टी0) से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(32)	प्रशिक्षण अधिकारी, (भाषा हिन्दी)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हिन्दी साहित्य में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, स्नातकोत्तर को प्राथमिता दी जायेगी. 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण. 3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षणीय अनुभव होना चाहिये.
(33)	प्रशिक्षण अधिकारी,(भाषा अंग्रेजी)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अंग्रेजी

				<p>साहित्य में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, स्नातकोत्तर को प्राथमिता दी जायेगी.</p> <p>2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण.</p> <p>3. अभ्यर्थी को व्यवसाय कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षणीय अनुभव होना चाहिये.</p>
(34)	प्रशिक्षण अधिकारी (सामाजिक अध्ययन)	18	35	<p>1. सामाजशास्त्र/मनोविज्ञान विषय से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री(उपाधि)</p> <p>2. यद्यपि अनुभव अनिवार्य नहीं किन्तु अध्यापन कार्य में अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी.</p> <p>3. सी.एस.टी.ए.आर.आई में या किसी अन्य शासकीय संगठन में रोजगार के बाद प्रशिक्षित हो.</p>
(35)	प्रशिक्षण अधिकारी, भाषा - अंग्रेजी(कम्यूनिकेशन स्कूल)	18	35	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अंग्रेजी साहित्य/हिन्दी साहित्य में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, स्नातकोत्तर को प्राथमिता दी जायेगी.</p> <p>2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण.</p> <p>3. अभ्यर्थी को व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षणीय अनुभव होना चाहिये.</p>
(36)	मेन्टेनेंस मैकेनिक (मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल)	18	35	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष.</p> <p>2. मैकेनिकल के लिये (फिटर,मशीनिष्ट, टर्नर) तथा इलेक्ट्रिकल के लिये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में अखिल भारतीय परिषद् से अखिल भारतीय परिषद् परीक्षा उत्तीर्ण या राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षा उत्तीर्ण.</p> <p>3. संबंधित व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का प्रशिक्षकीय अनुभव.</p>

टीप :- सरल क्रमोंक 32 से 36 तक के लिये :- विभाग के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों/मेहमान प्रवक्ता को प्राथमिकता दी जायेगी. प्राथमिकता किस प्रकार देना है चयन समिति द्वारा तय किया जायेगा.

अलिपक्रीय संवर्ग

(37)	छात्रावास अधीक्षक	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष. 2. व्यायाम प्रशिक्षण (फिजीकल ट्रेनिंग) में डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यायाम प्रशिक्षण (फिजीकल ट्रेनिंग) में स्नातक हो.
(38)	वाहन चालक	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. 2. हल्के एवं भारी वाहन चलाने का लायसेंस रखता हो.
(39)	पट्टी बंधक (ड्रेसर)	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी , रसायन एवं जीवविज्ञान के साथ हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये या समकक्ष. 2. मेडिकल केन्द्र/संस्थान से 3 माह का पट्टी बंधक का कोर्स.
(40)	फार्मासिस्ट	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. भौतिक, रसायन एवं जीवविज्ञान के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण. 2. मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी में डिप्लोमा. 3. फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत. 4. औषधि संयोजक के रूप में कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव. 5. विभागीय अनुभव को प्राथमिकता चयन समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा.

लिपक्रीय संवर्ग

(41)	स्टेनो टायपिस्ट	18	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी
------	-----------------	----	----	---

				<p>भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.</p> <p>2. हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति.(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)</p> <p>3. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्ष डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा डाटा एण्ट्री की गति 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिये.(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)</p>
(42)	सहायक वर्ग -3	18	35	<p>1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हायर सेकेण्डरी (10+2) की परीक्षा उत्तीर्ण. या पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.</p> <p>2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्ष डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा,</p> <p>3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिये.(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)</p>
(43)	डाटा एण्ट्री आपरेटर	18	35	<p>1. कक्षा 12वीं (10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण या कक्षा दसवीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण या पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.</p>

				2. डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसा मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8,000 (Key)-डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति.(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)
--	--	--	--	---

अनुसूची “चार”

(नियम 14 देखिये)

छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण(अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम-2013

अनुक्रमक	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नत की जानी है.	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नत की जानी है.	पदोन्नत के लिये अपेक्षित अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रशिक्षण अधिकारी(व्यवसाय , सी.ओ.ई, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशाप केलकुलेशन).	प्रशिक्षण अधीक्षक/ तकनीकी सहायक	1. आई.टी. आई./एन.ए. सी. उल्लेखित के लिये 6 वर्ष 2. डिप्लोमा उल्लेखित के लिये 5 वर्ष 3. इंजीनियरिंग (डिग्री)के लिये 4 वर्ष	1.संयुक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण -अध्यक्ष 2. उप संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण-सदस्य 3. सहायक संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण-सदस्य
2.	मेंटेनेन्स मैकेनिक(मैकेनिकल/इलेक्ट्रीकल)	प्रशिक्षण अधिकारी(संबंधित व्यवसाय) सरल क्रमक 3 में उल्लेखित पद की वरिष्ठता को ध्यान में लाये बिना केवल पद के रिक्त होने पर ही पदोन्नत किया जाएगा.	5 वर्ष	-तदैव-
3.	कर्मशाला सहायक	प्रशिक्षण अधिकारी(संबंधित व्यवसाय) सरल क्रमक 3 में उल्लेखित पद की वरिष्ठता को ध्यान में लाये बिना केवल पद के रिक्त होने पर ही पदोन्नत किया जाएगा.	5 वर्ष	-तदैव-
4.	वाहन चालक(हाई स्कूल उतीर्ण)	प्रशिक्षण अधिकारी(मोटर मैकेनिक) का पद रिक्त होने पर.	7 वर्ष	-तदैव-
5.	पट्टी बंधक (ड्रेसर)	फार्माशिस्ट	5 वर्ष	-तदैव-
6.	अधीक्षक आई.टी.आई./क्षेत्रीय कार्यालय	अधीक्षक संचालनालय	3 वर्ष	-तदैव-

7.	सहायक ग्रेड-1	सहायक लेखाधिकारी/अधीक्षक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा सहायक वर्ग-1 के पद पर कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव तथा लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य.	5 वर्ष	-तदैव-
8.	सहायक अधीक्षक/सहायक ग्रेड-1	अधीक्षक/आई.टी.आई./क्षेत्रीय कार्यालय	3 वर्ष	-तदैव-
9.	सहायक ग्रेड-2/लेखापाल	सहायक अधीक्षक/सहायक ग्रेड-1	3 वर्ष	-तदैव-
10.	सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2/लेखापाल	3 वर्ष	-तदैव-
11.	स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक टीप :- स्टेनो टायपिस्ट की पदोन्नति के लिये अपेक्षित अर्हता राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन बोर्ड से शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये तथा उसकी हिन्दी शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रतिमिनट गति होनी चाहिये तथा कम्प्यूटर में 10,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना अनिवार्य.(गति संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)	7 वर्ष	-तदैव-
12.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	भविष्य में शासन द्वारा जारी होने वाले निर्देश/आदेश के अनुसार	-	-तदैव-
13.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (दफ्तरी सहित)	सहायक ग्रेड-3 टीप:- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पदोन्नति के लिये वे कर्मचारी ही पात्र होंगे जिन्होंने हायर सेकेन्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो और मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्ष डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र रखता हो तथा जिन्हें कम्प्यूटर हिन्दी टाइपिंग का 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य है. (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी) पदोन्नति दो वर्ष के परीवीक्षा पर होगी.	5 वर्ष	-तदैव-